BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 20 जनवरी, 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर एक लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के 04 आरोपियों को 05-05 वर्ष का कारावास व 03 आरोपियों को 11-11 हजार रूपये व 01 आरोपी कों 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1-रजनी पत्नी चन्द्रप्रकाश 2. चन्द्रप्रकाश पुत्र परमसिंह निवासी निवासीगण ग्राम पलाकसेर थाना डिबाई जनपद जनपद बुलन्दशहर 3-छोटेलाल पुत्र पोरवपाल सिंह 4-कमलेश पत्नी छोटेलाल निवासीगण मण्डी हरदेव कस्बा व थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2014 में थाना डिबाई क्षेत्र निवासी एक लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 28.08.2014 को थाना डिबाई पर मुअसं- 407/14 धारा 363/366/342/506 भादवि व 16/17 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 04.11.2014 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 20.01.2025 को न्यायाधीश श्री संजय कुमार यादव (मा0 न्यायालय पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का कारावास व अभियुक्ता रजनी, अभियुक्त छोटेलाल व चन्द्रप्रकाश को 11-11 हजार रुपये तथा अभियुक्ता कमलेश को 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री महेश राघव, श्री धर्मेन्द्र राघव व श्री भरत शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।